न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/7882/2001/अलवर

1– दलीप पुत्र डिप्टी
2– रामफल पुत्र जगमाल
3– नरेश पुत्र जगमाल(फौत)
4– सुरेश पुत्र जगमाल
जाति यादव निवासीयान ग्राम बिनोलिया तहसील तिजारा जिला अलवर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– रतीराम पुत्र भगवाना
2– रामपत पुत्र भगवाना
3– प्रभात पुत्र भगवाना
4– लक्खी पुत्र भगवाना
4/1– निर्मला पत्नी लक्खीराम
4/2– तेजपाल
4/3– सतपाल
4/4– सुनील
4/5– कैलाश
4/6– अनिता
पुत्र/पुत्रियां लक्खीराम
जाति यादव निवासीयान ग्राम बिनोलिया तहसील तिजारा जिला अलवर।
5– राजस्थान राज्य भूमिधारी जरिये, तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री जयपाल चावला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

–निर्णय–

दिनांकः–25–04–2025

1– अपीलांट्स् ने यह द्वितीय अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2001 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स् की अपील को विधि विरूद्ध

तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बिनोलिया तहसील तिजारा के खेत खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 570 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 650 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 652 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि के बाबत् एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 09-06-2000 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर 1/2, 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27-11-2001 को रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपील के तथ्यों में वर्णित आराजी अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 570 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 650 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 652 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन सहवन से जमाबन्दी संवत् 2029 व 2033 में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पिता के नाम इन्द्राज होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स को बेदखल करने की कोशिश की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा के समक्ष एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53, 88 मय स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर आराजी जैर के 1/2 हक व हिस्से की घोषणा एवं वादीगण को उसके कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री व तत्पश्चात् अंतिम डिक्री जारी करते हुए

निर्णय व डिक्री दिनांक 09-06-2000 को वादीगण को वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-11-2001 को अपील स्वीकार की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की पालना नहीं की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा बहस में आगे कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंतिम डिक्री के लिए तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया उनकी रिपोर्ट कुर्रेजात आदि अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हो गई उसकी रिपोर्ट पर विचार करते जो निर्णय पारित किया गया है वह प्राथमिक डिक्री अपील में विचार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गई है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किस प्रकार की त्रुटि कारित की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र तकनीकी बिन्दु पर रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की द्वितीय अपील स्वीकार फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 603 (एससी), आरबीजे 2012 पेज 99(एचसी), आरबीजे 2008 पेज 668, आरबीजे 2000 पेज 300, आरबीजे 2004 पेज 329 व आरएलआर 2000(2) पेज 450(एचसी) न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 570 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 650 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 652 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 81, 278 व 318 है। उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट्स/वादीगण व उनके पूर्वजों का मौके पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपितु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पिता भगवाना एवं दादा बंशी के समय से वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है तथा आज भी मौके पर रेस्पोडन्ट्स/प्रतिवादीगण का बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट्स/वादीगण किसी भी तरह से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं होने के बावजूद भी

अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा मय स्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-06-2000 को अपीलांट्स/वादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के पूर्वज बंशी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम से पूर्व से बतौर बिस्वेदर व उसके बाद बतौर खातेदार काबिज काश्त रहे है। इसके पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2018-2021 में प्रतिवादीगण के पिता भगवानाराम का नाम दर्ज है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा जमाबन्दी संवत् 2029 में इन्द्राज होने का कथन सरासर झूठ व मनगढ़त है क्योंकि वादीगण एवं अपीलांट्स व उनके पूर्वजों का उक्त वादग्रस्त आराजी पर मौके पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों का नजरअंदाज करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी चारो ओर डोला कायम कर रखा है एवं खसरा नम्बर 651 में मिलकीयत चाहा है जिससे फसलों की सिंचाई करते चले आ रहे है बाद में कुंए में पानी कम होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ट्यूबेल खुदवा रखा है। जिससे फसलों की सिंचाई की जा रही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 व 188 के वादपत्र पेश किया गया। वादपत्र में बंटवारा बाबत् उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण तनकीयात भी बंटवारे बाबत् कायम नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/वादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का तकासमा करते हुए अलग खाता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार उनके वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के विपरीत निर्णय व डिक्री दिनांक 09-06-2000 पारित की गई। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी तथ्यों के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 27-11-2002 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई। लिहाजा द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलांट्स की द्वितीय अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषण्क रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 324, आरआरडी 2007 पेज 587, आरआरडी 1988 पेज 143(ए) व आरआरडी 2008 पेज 459 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बिनोलिया तहसील तिजारा के खेत खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 570 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 650 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 652 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि के विभाजन, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 09–06–2000 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर 1/2, 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित कर दावा प्रारम्भिक डिक्री कर कुरेजात रिपोर्ट पेश किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2001 को रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार किये जाने के उपरान्त वादीगण/अपीलांट्स द्वारा मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई।

8– प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् भिन्न–भिन्न मत व्यक्त किये जाने की स्थिति में राजस्व मण्डल जोकि राजस्व मामलों की उच्चतर (Apex Court) न्यायालय है, के स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से आराजी जैर के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, मौखिक एवं लिखित साक्ष्यों के अनुसरण में विधि के परिप्रेक्ष्य में अभिमत व्यक्त किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न वादपत्र/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया था कि आराजी जैर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के धारण की भूमि रही है। जिस पर वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक व हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुरूप आराजी जैर की घोषणा एवं तदुनुरूप विभाजन की मांग की गई।

उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित चार तनकीयात कायम की गई। जिसमें प्रथम तनकी कायम की गई किः–

‘‘आया की फरीकेन आराजी मुतजिकरा जिमन नम्बर 1 दावा में वर्णित मुश्तर्का खातेदार है तथा आराजी का तकासमा करवाकर आधी जमीन कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।’’

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा उक्ता तनकीयात् को साबित करने का हेतु अपने कथनो के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2001, जमाबन्दी संवत् 2028, नकल शपथ-पत्र भगवाना दिनांक 30-05-1981 जोकि रजवण बनाम भगवाना उनवानी प्रकरण में दिए गये थे, इसी प्रकार सहायक कलेक्टर, किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 23-01-1987 की प्रति एवं उक्त दावे में रजवण द्वारा दिए गये बयानों की प्रतियां पेश की गई। राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2001 के अनुसार वादग्रस्त भूमि रूडा के नाम दर्ज भूमि रहते हुए रूडा के चार लड़के क्रमशः बंशी, डिप्टी, फूसा व भोलिया हुए। वादीगण/अपीलांट्स डिप्टी पुत्र रूडा के वारिस है एवं प्रतिवादीगण बंशी के वारिसान है। इसी प्रकार भोलिया लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसकी बेवा रजवण है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड एवं वंशवृक्ष के आधार पर यह तथ्य जाहिर है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आराजी जैर के मूल खातेदार रूडा के संतानें रही है। आराजी जैर के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी (Records of right) ग्राम बिनोलिया संवत् 2001 का अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में बतौर नाम मालिक बअहवाल बंशी, डिप्टी पिसरान रूडा व मु0 रजवण बेवा भोलिया व फूसा वल्द रूडा हर चार बहिस्सा बराबर एकतिहाई अंकित है तथा इसी अनुरूप कॉलम संख्या 5 में नाम काश्तकार बअहवाल खुदकाश्त अंकित रहा है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन मात्र से यह तथ्य जाहिर है आराजी जैर पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड रहा है। कालान्तर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2028-2033 में आराजी जैर प्रतिवादीगण के नाम तन्हा दर्ज रिकार्ड अंकित होना प्रदर्शित है। उक्त अंकन किस आधार पर किया गया है अर्थात् किस सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया है अथवा नहीं? इस तथ्य की पुष्टि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से नहीं होती है। नाही प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

9- प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावे में यह अभिकथन किया गया कि आराजी जैर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक से उनके दादा बंशी के नाम दर्ज रिकार्ड होने से आराजी जैर के खुदकाबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2018-2021 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में इस प्रकार वादीगण द्वारा आराजी जैर के बतौर विरासतन अधिकार सृजन होने के संबंध में जमाबन्दी संवत् 2001 प्रस्तुत की गई है जिसमें रूडा के समस्त वारिसान अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड रहा है तथा पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड यथा 2018-2021 में प्रतिवादीगण के दादा बंशी का एकमात्र नाम किस आधार पर दर्ज रिकार्ड रहा है? इसको साबित करने में प्रतिवादीगण

असफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी जैर पर अपने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार जवाबदावे के माध्यम से चाहे गये है। इस क्रम में राजस्व रिकार्ड से यह तथ्य जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की (Ancestral Land) भूमि रही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी जैर पर प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग करना जाहिर होता है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। जहां तक प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि जहां सम्पति Ancestral रही हो, वहां सभी सहखातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना गया है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने व वादीगण का कब्जा नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकी के संबंध में आराजी जैर से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गये बयानात् एवं पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए यह पाये जाने पर की आराजी जैर एक Ancestral Land है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व काबिज काश्त रहे है तथा वादग्रस्त भूमि पर पारिवारिक सम्पति होने से उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के प्रावधान लागू नहीं होने से आराजी जैर का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया गया है। इस संबंध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13 एवं धारा 15 जिसमें ऐसे काश्तकारों के हक व हकों की सुरक्षार्थ संरक्षणा प्रदान की गई है, का भी अवलोकन कियाः–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13 इस प्रकार है किः– Khatedari rights upon resumption (or abolition) - On the resumption (or abolition) of an estate under any law in force in the whole or any part of the State, the estate - holder holding Khudkasht shall become a khatedar tenant thereof and shall be entitled to all the rights conferred, and be subject to all the liabilities imposed, on a khatedar tenant by or under this Act.

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 जिसमें भी ऐसे खुदकाश्तकारों के अधिकारों को संरक्षणा प्रदान करते हुए अभिलिखित किया गया है किः– Khatedar tenants - Subject to the provisions of section 16 (and clause (d) of sub-section (1) of section 18 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenantotherwise than a sub-tenant or tenant of

Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rule made under section 101 of the Rajashtn Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act, be entitled to all te rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

विधि में ऐसे काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से भी मार्गदर्शित किया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट I पेज 520 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः-

Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec. 15 read with section 88 - Suit for declaration and correction of entry in the revenue records - Names of respondents were mentioned in 'Jamabandi' entry of Samvat 2012 - Held - When the Rajasthan Tenancy Act, come into force by virtue of Section 15, they (respondents) acquired the status of tenants in respect of disputed land.,

10- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में जब यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा की मांग आराजी जैर पूवजों के कब्जे काश्त/Ancestral Land अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ (कानून के संचालन की दिनांक) के आधार पर की गई है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13 व 15 ऐसे काश्तकारों को संरक्षण प्रदान करती है। जिसके तहत अपीलांट्स/वादीगण आराजी जैर पर खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के मुश्तहक पाये जाते हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में कायम की गई तनकी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णीत करते हुए वादपत्र को डिक्री किया जाकर आराजी जैर के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के विभाजन के संबंध में उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् केवल मात्र घोषणात्मक मांग किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री विधि जारी की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी

साक्ष्यों एवं आदेशिका 12-05-2000 व 18-05-2000 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिका दिनांक 18-05-2000 के माध्यम से वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के माध्यम से आराजी जैर के बाबत् दावे में तकासमा की दादरसी को सम्मिलित करने की मांग को स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स की आराजी जैर के बाबत् विभाजन की आपत्ति का कोई औचित्त शेष नहीं रह जाता है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2001 के स्थान पर जमाबन्दी संवत् 2016 को आधार लेते हुए एवं अन्य तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपील का निस्तारण करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलांट्स की हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

11- परिणामतः अपीलांट्स् की द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा भू-प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27-11-2001 निरस्त किया जाकर सहायक कलेक्टर, तिजारा का निर्णय व डिक्री दिनांक 09-06-2000 यथावत् बहाल रखा जाता है। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य